न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
श्री रतनाराम पुत्र मोती जी, जाति– रेबारी, निवासी– लक्ष्मण टेकरी, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
(1) श्री केवाराम पुत्र मोती जी, जाति–रेबारी, निवासी– जावाल, तह. व जिला– सिरोही
(2) श्री मोतीराम पुत्र खीमाजी, जाति–रेबारी, निवासी– जावाल, तह. व जिला– सिरोही
(3) ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जावाल, तह. व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 29/2014

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवडा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 10 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र खीमाजी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल के पक्ष में क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट आबादी भूमि का जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 04.7.1976 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या– 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 03.3.2021 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या–2 राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के तहत रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी संख्या– 2 ने क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट भूमि का नियम 266 के तहत गलत रुप से पट्टा प्राप्त किया है व नियम 266 के तहत इतने क्षेत्रफल की भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, जावाल ने पट्टा जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण पालना नही की है एवं न ही प्रश्नगत पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर है। प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, जावाल में कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत, जावाल की पट्टा बही के अनुसार पट्टा संख्या 59 किसी अन्य व्यक्तियों के नाम से जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत, जावाल ने पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की सही रुप से जांच नही करवाई है एवं न ही कोई प्रस्ताव पारित किया है। अप्रार्थी संख्या–1 जो कि प्रार्थी [illegible] प्रार्थी के पिता है। प्रार्थी के पिता मोतीराम पुत्र खीमाजी ने दो विवाह किये [illegible] पहले पहली पत्नी श्रीमती झम्मू के साथ विवाह किया और [illegible] प्रार्थी की माता

......लगातार पेज दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

श्रीमती झम्मू का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद प्रार्थी के पिता मोतीराम पुत्र खीमाजी ने दूसरा विवाह श्रीमती फालू से किया एवं मोतीराम व श्रीमती फालू के तीन पुत्र व दो पुत्रियों का जन्म हुआ जिसमें पुत्र दानाराम व भेराराम का स्वर्गवास हो गया है और अप्रार्थी संख्या–1 केवाराम जीवीत है। प्रार्थी की दो बहनें श्रीमती लक्ष्मी व लीलू भी जीवीत है जिनकी शादी होने से ससुराल में रहती है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 59 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के पिता मोतीराम पुत्र खीमाजी के नाम की है, इस पट्टेशुदा भूमि का दोनों भाईयों के बीच आपस में बंटवाड हो चुका है, प्रार्थी का अपने हक हिस्सा भूमि पर पुराना मकान बना हुआ है और अप्रार्थी संख्या–1 ने भी अपने हक हिस्से की भूमि में पक्का मकान बना रखा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में जबरन दिवार निकालना चाहता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टा संख्या 59 दिनांक 04.7.1976 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र खीमाजी के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करने हेतु नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट भूमि का नियमानुसार पट्टा संख्या 59 दिनांक 04.7.1976 को जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा 59 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या– 2 का करीब 55 वर्ष पुराना कब्जा है एवं मौके पर आवासीय पुराना आवासीय मकान बना हुआ है। स्वयं प्रार्थी रतनाराम का जन्म भी इसी आवासीय मकान में हुआ है। अप्रार्थी संख्या–2 रेबारी जाति का पशुपालक वर्ग है। अप्रार्थी संख्या–2 का आवासीय मकान व मवेशियों के लिये बाडा साथ में ही है व मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना कब्जा व आवासीय मकान बना हुआ होने से ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत पुराने कब्जे की भूमि का पट्टा जारी करने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा जारी किये हुये करीब 43 वर्ष हो चुके है एवं तत्समय प्रार्थी रतनाराम की आयु मात्र 7 वर्ष ही थी। प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि अप्रार्थी संख्या–2 के कब्जे मालकी व स्वामित्व की है। इसके अलावा, अप्रार्थी संख्या–2 के पास अन्य कोई आवासीय भूमि ग्राम जावाल में नही है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 59 की भूमि में अप्रार्थी संख्या–2 के स्वामित्व का आवास बना हुआ है, जिसमें अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या– 1 का परिवार निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या– 2 के पुत्र भेराराम का पुत्र प्रकाश निवास कर रहा है, भेराराम का गुजरात में आये भूकम्प के दौरान मृत्यु हो गई थी। अप्रार्थी संख्या–2 ने प्रार्थी व उसके परिवार के आवास के लिये अपने कब्जे भोगवटा का दूसरा भूखण्ड़ दिया है जिसमें प्रार्थी का आवास बना हुआ है। प्रार्थी का प्रश्नगत पट्टा संख्या 59 की भूमि पर कोई आवास नही है। प्रार्थी ने 38 वर्षो बाद पारिवारिक विवाद बताकर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या–2 का पुत्र है व अप्रार्थी संख्या–2 की मृत्यु के बाद ही प्रार्थी को इस सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हो सकता है। अप्रार्थी संख्या–2 के जीवीत अवस्था में यह सम्पति अप्रार्थी संख्या–2 के स्वामित्व की है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2012(2)DNJ(Raj) Page 602, 2008(2) CT(Raj) Page 1031, 2015(4)DNJ(Raj) Page 1853, 2002(1)RRT Page 434 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये हुये करीब 45 वर्ष हो चुके है एवं प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु करीब 38 वर्ष बाद निगरानी आवेदन इस न्यायालय प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जावे।

लगातार पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा मोतीया पुत्र खीमाजी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट का पट्टा संख्या 59 दिनांक 04.7.1976 को जारी किया हुआ है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत, जहां आबादी भूमि में किन्हीं व्यक्तियों का प्रभूत्व का विश्वस्त दावा हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नही हो सके तो ऐसी आबादी भूमि/भूखण्ड का पुराने कब्जे भोगवटे के आधार पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान था।

विचारणीय प्रकरण में उभय पक्ष के कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 59 से संबंधित भूमि पुराने कब्जेशुदा भूमि होकर मौके पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ है। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि प्रार्थी जो कि अप्रार्थी संख्या–1 का भाई एवं अप्रार्थी संख्या–2 का पुत्र है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 59 की भूमि अप्रार्थी मोतीराम पुत्र खीमाजी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल की पट्टे स्वामित्व की भूमि है एवं जब तक अप्रार्थी मोतीराम पुत्र खीमाजी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल जीवीत है, तब तक इस पट्टे स्वामित्व की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 को उत्तराधिकार के तहत कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने आपसी पारिवारिक विवाद के चलते यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी रतनाराम पुत्र मोतीजी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल ने उक्त पट्टा संख्या 59 दिनांक 04.7.1976 को निरस्त कराने हेतु पट्टा जारी होने के 38 वर्ष के अधिक समय बाद यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

10/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:14 IST
Reason: SelfAttested